राजस्थान सरकार
देवस्थान विभाग

क्रमांक प.7(5)देव/2025 जयपुर, दिनांक Signed Date

–:परिपत्रः–

विषय :– धर्मशाला के साथ संलग्न रिक्त भूमि पर धार्मिक कार्यक्रम, पार्किंग, अस्थायी मेला आदि के संबंध में दिशा–निर्देश (विशेषतः लीज पर न दी गई धर्मशालाओं के संबंध में)

संदर्भ :– धर्मशाला संचालन हेतु दिशा–निर्देश, 2021 के क्रम में।

धर्मशालाओं के संचालन के लिए विस्तृत दिशा–निर्देश जारी है, जिनमें धर्मशालाओं को लीज पर दिए जाने के लिए निविदा की कार्यवाही की जाती है।

यहां उल्लेखनीय है कि अनेक मंदिरों के पास व्यापक रूप में ऐसी रिक्त भूमि पड़ी हुई है, जो कृषि कार्य में नहीं आ रही परन्तु उसका उपयोग धार्मिक कार्यक्रम, पार्किंग, अस्थायी मेला आदि के लिए किया जा सकता है।

अतः इनका उपयोग भी ठीक उसी प्रकार नीलामी की निविदा करते हुए किया जा सकता है। जिसमें अनिर्मित भूमि के लिए आरक्षित दर उसकी डीएलसी आधारित वार्षिक किराये के आधार पर निर्धारित की जा सकती है तथा निर्मित भवनों की न्यूनतम आरक्षित राशि विभागीय आदेश दिनांक 15.07.2021 से जारी दिशा–निर्देश के बिन्दु संख्या–6 में अंकित है, जिसमें शेड्यूल ऑफ रेट (SOR)का मूल्यांकन निर्मित क्षेत्र हेतु 25 प्रतिशत एवं खुली जगह हेतु 10 प्रतिशत के आधार पर गणना करते हुए कुल राशि का 30 प्रतिशत ऑक्युपेंसी मानते हुए न्यूनतम आधार मूल/आरक्षित मूल्य निर्धारित किए जाने का प्रावधान है।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि धर्मशाला संचालन हेतु दिशा–निर्देश में ही खाली स्थान के लिए भी प्रावधान विद्यमान है, परन्तु स्पष्टता नहीं होने के कारण इस भूमि का समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है। इसके संबंध में निम्न स्पष्टीकरण जारी किया जाता है :–

1. ऐसे स्थान, जहॉ धर्मशाला विद्यमान है और वहॉ अभी लीज की निविदा नहीं हुई है, वहॉ धर्मशाला के साथ संलग्न रिक्त भूमि को भी धार्मिक कार्यक्रम, पार्किंग, अस्थायी मेला आदि के लिए अनुमत मानते हुए उसकी सम्मिलित/एकीकृत निविदा की कार्यवाही की जावे।

Signature valid
Digitally signed by Krishna Kant Pathak
Designation : Secretary To Government
Date: 2025.08.04 14:26:31 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 16950036

2. ऐसे स्थान, जहॉ धर्मशाला विद्यमान है और लीज की निविदा पूर्व में की जा चुकी है, वहॉ धर्मशाला के साथ संलग्न रिक्त भूमि को भी धार्मिक कार्यक्रम, पार्किंग, अस्थायी मेला आदि के लिए अनुमत मानते हुए उसकी पृथक निविदा की कार्यवाही की जावें। परन्तु चूंकि उससे संलग्न भूमि में धर्मशाला की निविदा किसी लीज धारक को दी जा चुकी है अतः वहॉ अधिकतम बोलीदाता की राशि उसके द्वारा दिए जाने पर उसे वरियता की शर्त सम्मिलित की जाये।

3. ऐसे स्थान, जहॉ धर्मशाला विद्यमान नहीं है और वहॉ अभी लीज की निविदा नहीं हुई है, वहॉ रिक्त भूमि को भी धार्मिक कार्यक्रम, पार्किंग, अस्थायी मेला आदि के लिए अनुमत मानते हुए उसकी निविदा की कार्यवाही की जावे।

4. ऐसे स्थान, जहॉ धर्मशाला विद्यमान है और वहॉ अभी लीज की निविदा नहीं हुई है और वहॉ स्थान की व्यापकता या तीर्थयात्रियों की संख्या को देखते हुए देवस्थान विभाग के संसाधन अपर्याप्त हो वहॉ मंदिर परिसर की सफाई, सुरक्षा, मंदिर में कार्यक्रम आदि को सम्मिलित करते हुए वृन्दावन व बरसाना के लिए भ्रमण, निरीक्षण प्रतिवेदन मे प्रदत्त निर्देश अनुसार निविदा की कार्यवाही की जावे। इसमें धर्मशाला के साथ संलग्न रिक्त भूमि को भी धार्मिक कार्यक्रम, पार्किंग, अस्थायी मेला आदि के लिए अनुमत मानते हुए उसकी सम्मिलित/एकीकृत निविदा की कार्यवाही की जावे।

तद्नुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

(के.के.पाठक)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, देवस्थान विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, देवस्थान विभाग।
3. आयुक्त, देवस्थान विभाग, उदयपुर।
4. वित्तीय सलाहकार, आयुक्तालय देवस्थान विभाग, उदयपुर।
5. उपविधि परामर्शी, आयुक्तालय, देवस्थान विभाग, उदयपुर
6. समस्त सहायक आयुक्तगण, देवस्थान विभाग।
7. रक्षित पत्रावली।

शासन सचिव

Signature valid
Digitally signed by Krishna Kant Pathak
Designation : Secretary To Government
Date: 2025.08.04 14:26:31 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 16950036